नगर परिषद श्री नयना देवी जी, तहसील स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2012 से 3/2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16–10–2008 द्वारा नगर परिषदों व नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि•प्र•) को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नैना देवी जी के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(क) वर्तमान अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद नैना देवी जी में निम्न प्रकार से प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

	नाम	अवधि
प्रधान	श्री मुनीश कुमार	2012 से 2016
कार्यकारी अधिकारी	श्री एम• डी• शर्मा	1.04.2012 से 31.03.2013
कार्यकारी अधिकारी	श्री एम• डी• शर्मा	1.04.2013 से 22.05.2013
कार्यकारी अधिकारी	श्री एम• डी• शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	18.06.2013 से 21.08.2013
कार्यकारी अधिकारी	श्री पी• सी• शर्मा	22.08.2013 से 31.03.2014
कार्यकारी अधिकारी	श्री पी• सी• शर्मा	1.04.2014 से 31.03.2015
कार्यकारी अधिकारी	श्री पी• सी• शर्मा	1.04.2015 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र•सं.	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	वर्ष 2012 में प्राप्त के अनुदान का चार वर्ष में भी उपयोग करने में विफलता	7(ख)(ii)	152.70
2	वर्ष 2014 में प्राप्त अनुदान का दो वर्ष में भी उपयोग करने में विफलता	7(ख)(iii)	92.23
3	संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से का अधिक व्यय	9(क)	50.13
4	कनिष्ठ अभियन्ता के गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	10	0.86
5	गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने बारे	21	22.39

6	गृहकर की बकाया राशि पर अधिभार न लगाने के कारण वित्तीय हानि	22	3.64
7	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	23	39.63
8	मन्दिर न्यास श्री न्यास देवी जी से दुकान नं• एक के किराये की वसूली न करने बारे	24	15.42
9	परिषद् सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के बारे में	25	——
10	नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	28	0.47
11	दुकानदारों से प्रतिभूति राशि की वसूली न करने बारे	29	0.58
12	सरिया खरीद में दर संविदा (Rate Contract)से अधिक दर पर भुगतान करने से परिषद् को हानि	33	0.57
13	छः वर्षों में भी कार पार्किंग का निर्माण पूर्ण करवाने में विफलता	34	——
14	अधूरी कार पार्किंग के कारण परिषद् को हानि	35	35.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे लम्बित पैरों में से जिन पैरों के सटिप्पण उत्तर नगर परिषद् द्वारा तैयार किए गए थे, उनकी वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा एवं अभिलेखों की पड़ताल के उपरान्त उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया गया परन्तु शेष अनिर्णीत पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत कराए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'क'** में दर्शाई गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा

नगर परिषद श्री नैणादेवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2012 से 3/2016 के लेखों का वर्तमान लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट किए गए है, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी (ले•प•) व श्री पुनीत शर्मा आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 1.2.2016 से 18.4.2016 के दौरान नगर परिषद श्री नैना देवी जी में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गयाः—

अवधि	**चयनित मास**	
	आय	**व्यय**
2012—13	4/2012	9/2012
2013—14	3/2014	7/2013

2014–15	3/2015	3/2015
2015–16	7/2015	6/2015

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लेखों का परीक्षण नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया व अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण भी तदानुसार ही किया गया है। किसी प्रकार की गलत अथवा अधूरी सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि लेखों का परीक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद्, श्री नैना देवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2012 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹80,200/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–78 दिनांकः 18–04–2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद श्री नयना देवी जी को आग्रह किया गया, जिसे परिषद द्वारा अंकेक्षणोपरान्त उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार हि• प्र• रा• सह• बैंक के ड्राफ्ट संख्या 025976 दिनांक 25–04–2016 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर, हि• प्र• की वर्षवार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में भी दिया गया है:–

मद	**प्रारम्भिक शेष**	**आय, प्राप्तियाँ व ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्त शेष**
2012–13					
स्वयँ संसाधन	6941486	3814473	10755959	6471091	4284868
अनुदान	6880877	18785472	25666349	7377163	18289186
कुल योग	**13822363**	**22599945**	**36422308**	**13848254**	**22574054**
2013–14					
स्वयँ संसाधन	4284868	9098480	13383348	8722788	4660560
अनुदान	18289186	11499413	29788599	1538736	28249863
कुल योग	**22574054**	**20597893**	**43171947**	**10261524**	**32910423**
2014–15					
स्वयँ संसाधन	4660560	13546932	18207492	10372644	7834848
अनुदान	28249863	2304962	30554825	6873710	23681115
कुल योग	**32910423**	**15851894**	**48762317**	**17246354**	**31515963**
2015–16					

स्वयँ संसाधन	7834848	11639705	19474553	7186304	12288249
अनुदान	23681115	3784440	27465555	7812237	19653318
कुल योग	**31515963**	**15424145**	**46940108**	**14998541**	**31941567**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

नगर परिषद् श्री नैनादेवी जी की निधियों की दिनांक 31—03—2016 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः—

क्र	मद	बचत खाते/निवेश का विवरण	दिनांक 31—03—2016 का अन्त शेष
1	रोकड़ बही 1, परिषद् मुख्य निधि	भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता संख्या 11530550437	15,98,708
		हि• प्र• रा• सह• बैंक बचत खाता संख्या 1151010255	39,74,002
		भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता संख्या 11530527566	9,88,153
		भारतीय स्टेट बैंक सावधि जमा निवेश का शेष	41,02,496
		हस्तगत शेष	9,430
2	रोकड़ बही 2, 13वां वितायोग	भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता संख्या 11530535395	16,88,792
		भारतीय स्टेट बैंक सावधि जमा निवेश का शेष	1,79,71,956
3	रोकड़ बही 3, एस• जे• एस• आर• वाई•	हि• प्र• रा• सह• बैंक बचत खाता संख्या 2313	68,818
4	रोकड़ बही 4, परिषद् निर्माण कार्य निधि	हि• प्र• रा• सह• बैंक बचत खाता संख्या 11510104009	16,34,149
	बैंक खातों का 31—03—2016 को पास बुक अनुसार कुल शेष		**3,20,36,504**
	(—) जारी चैक जो भुगतान हेतु बैंक में 31—03—2016 तक प्रस्तुत नहीं किए गएः		
		रोकड़ बही 1, परिषद् मुख्य निधि	(—) 90,498
		रोकड़ बही 2, 13वां वित्तायोग	(—) 4,439
	(क) बैंक खातों का समायोजित अन्त शेष		**3,19,41,567**
	रोकड़ बहियों अनुसार शेष :		
		रोकड़ बही 1, परिषद् मुख्य निधि	1,05,82,291
		रोकड़ बही 2, 13वां वितायोग	68,818
		रोकड़ बही 3, एस• जे• एस• आर• वाई•	1,96,56,309
		रोकड़ बही 4, परिषद् निर्माण कार्य निधि	16,34,149
	(ख) रोकड़ बहियों के अन्त शेष का योगः		**3,19,41,567**
	अन्तर (क—ख)		**शून्य**

(ग) जारी चैक जो भुगतान हेतु बैंक में 31—03—2016 तक प्रस्तुत नहीं किए गए का विवरणः

क्र•	**चैक संख्या**	**दिनांक**	बैंक	**राशि**
	रोकड़ बही 1, परिषद् मुख्य निधि			

1	866261	30.03.2016	हि• प्र• रा• सह• बैंक	54,500
2	866262	31.03.2016	हि• प्र• रा• सह• बैंक	480
3	866263	31.03.2016	हि• प्र• रा• सह• बैंक	4,588
4	866264	31.03.2016	हि• प्र• रा• सह• बैंक	5,930
5	691809	31.03.2016	भारतीय स्टेट बैंक	25,000
			योग (क)	**90,498**
	रोकड़ बही 2, 13वां वित्तायोग			
6	264440	28.03.2016	भारतीय स्टेट बैंक	1,110
7	264441	28.03.2016	भारतीय स्टेट बैंक	3,329
			योग (ख)	**4,439**
भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए चैकों का कुल योग (क+ख):				**94,937**

5 रोकड़ बही के रखरखाव में अनियमितताएं तथा चैक इश्यू रजिस्टर का निर्माण न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही के रखरखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं:–

(क) रोकड़ बही का अनियमित विभाजन करने बारे

अंकेक्षणावधि के दौरान रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि दिनांक 30/09/2013 तक नगर परिषद्, श्री नैणादेवी जी द्वारा नियमानुसार एक ही रोकड़ बही में समस्त आय/प्राप्तियों तथा व्यय/भुगतान का लेखांकन किया जा रहा था। इस दिन रोकड़ बही के अनुसार परिषद् की वित्तीय स्थिति में ₹2,09,01,072/– का शेष था, परन्तु बिना किसी कारण अथवा आदेश के दिनांक 01/10/2013 से परिषद् द्वारा इस रोकड़ बही का विभाजन करके तीन रोकड़ बहियां परिषद् निधि, अनुदान व एस जे एस आार वाई के लिए क्रमशः ₹21,38,716/– ₹1,84,74,886/– तथा ₹1,23,554/– कुल योग ₹2,07,37,156/– के साथ आरम्भ कर दी गईं। इस अनियमित/अनुचित विभाजन के परिणामस्वरूप अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां तथा समस्याएं पाई गईं:–

(i) विभाजनोपरान्त अविभाजित रोकड़ बही तथा इन तीन रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक शेष में रु1,63,916/– का अन्तर पाया गया, जिसे अगस्त 2014 में एक और अर्थात चौथी रोकड़ बही परिषद् के निर्माण कार्यों के लिए आरम्भ करके समाप्त किया गया है।

(ii) इस प्रकार अनुचित विभाजन के कारण ₹1,63,916/– यद्यपि बैंक में तो थी, परन्तु परिषद् के अपने लेखों से बाहर रही। रोकड़ बहियों के शेष में इतना बड़ा अन्तर होने के बावजूद भी परिषद् को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अक्तूबर 2013 के पश्चात अर्थात 10 माह के बाद अगस्त 2014 में इस चूक को सुधारा गया है।

(iii) इस प्रकार लेखांकन के प्रतिपादित तथा मूलभूत नियमों के विरूद्ध किए गए इस विभाजन के कारण परिषद् की वित्तीय स्थिति तैयार करना एक अतयन्त दुष्कर कार्य बन गया तथा अत्याधिक समय की बरबादी हुई।

(iv) रोकड़ बही के इस अनियमित विभाजन के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–59 दिनांकः 15/03/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांकः एमसीएनडी/ओडिट/2012–13 से 2014–15–316 दिनांक 19–03–2016 द्वारा उत्तर दिया गया, जोकि संतोषजनक नहीं पाया गया है।

(v) अतः अब सुझाव दिया जाता है कि भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से इस अनुचित कार्यपद्धति को बन्द करके एक ही रोकड़ बही में परिषद् के समस्त लेन देन का लेखांकन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

(ख) चैक इश्यू रजिस्टर का निर्माण न करने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा चैक इश्यू रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया अर्थात केवल मात्र बैंकों के द्वारा जारी चैक बुक के अन्तिम पृष्ठ पर चैक संख्या व राशियों का उल्लेख दर्ज किया जाता रहा है। अतः चैक इश्यू रजिस्टर का निर्माण शीध्र किया जाए ताकि जारी किए गए चैकों के लेखों को समय–समय पर वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके।

6 निवेश

(क) नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31–03–2016 को सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ग'** में भी दिया गया हैः–

1	रोकड़ बही 1, परिषद् मुख्य निधि	बैंक	खाता संख्या	
		भारतीय स्टेट बैंक	34815613771	25,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	35072680389	40,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	35072619302	40,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	11530553857	12,22,496.00
		भारतीय स्टेट बैंक	35072680764	3,00,000.00
	(क) रोकड़ बही 1 से निवेश का कुल योगः			**41,02,496.00**
2	रोकड़ बही 2, 13वां वितायोग	भारतीय स्टेट बैंक	35072655647	20,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34764179452	31,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34764267497	31,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34761164817	3,31,998.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34761164818	20,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34761164819	50,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34761164820	2,00,000.00
		भारतीय स्टेट बैंक	34761164821	3,31,998.00

भारतीय स्टेट बैंक	34761164822	3,34,412.00
भारतीय स्टेट बैंक	34761164823	1,67,207.00
भारतीय स्टेट बैंक	34761164824	3,34,412.00
भारतीय स्टेट बैंक	34761164825	1,67,207.00
भारतीय स्टेट बैंक	34761164826	3,01,574.00
भारतीय स्टेट बैंक	34761164827	3,01,574.00
भारतीय स्टेट बैंक	34761164828	3,01,574.00
(ख) रोकड़ बही 2 से निवेश का कुल योगः		**1,79,71,956.00**
नगर परिषद् द्वारा सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का कुल योग (क+ख)		**2,20,74,452.00**

(ख) निवेश रजिस्टर का निर्माण न करने बारे

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद् द्वारा निवेश रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। गत अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु अपेक्षित कार्यवाही करने के स्थान पर परिषद् द्वारा मात्र रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में निवेश विवरणी बनाई गई है न कि निवेश रजिस्टर तैयार किया गया। इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज व परिपक्वता राशि की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य हेतु निवेश रजिस्टर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान

(क) अंकेक्षण अवधि में अनुदान की राशि प्राप्ति/व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित पाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट (घ) में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक षेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2012–2013	6880877	18785472	25666349	7377163	18289186
2013–2014	18289186	11499413	29788599	1538736	28249863
2014–2015	28249863	2304962	30554825	6873710	23681115
2015–2016	23681115	3784440	27465555	7812237	19653318

(ख) सरकारी अनुदान की राशियों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में विफलता

(i) उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवर्ष दो से तीन करोड़ रुपयों की राशि परिषद् के पास प्राप्त अनुदानों में से बिना व्यय किए शेष पड़ी है।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत परिषद् को निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र क्रमांकः यू•डी•–एच (सी) (2)–1/2008–स्पैशल जी•आई•ए•–16434–48 दिनांक 10–09–2012 से ₹1,52,70,000/–पार्किंग, नालियों के निर्माण तथा एस• डबल्यू• एम• की मद में प्राप्त हुई थी, परन्तु चार वर्ष बीतने के उपरान्त भी 31–03–2016 तक इस राशि का पूर्ण उपयोग परिषद द्वारा नहीं किया गया, तथा इसमें से अभी तक ₹88,59,687/–शेष बची हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत परिषद् को निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र क्रमांकः यू•डी•–एच(सी)(2)–1/2008–स्पैशल जी•आई•ए•–13023–38 दिनांक 03–01–2014 से ₹92,23,000/– पार्किंग, नालियों के निर्माण तथा एस• डबल्यू• एम• की मद में प्राप्त हुई थी। परन्तु परिषद् दो वर्ष बीतने के उपरान्त भी 31–03–2016 तक इस राशि का कोई उपयोग नहीं कर पाई है तथा यह सारी की सारी राशि शेष बची हुई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष इतना अधिक अन्तशेष यह परिलक्षित करता है कि परिषद् इन अनुदानों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में विफल रही है तथा वित्तीय प्रबन्धन में तुरन्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

उक्त अनियमितताओं बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–67 दिनांकः 29/03/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् को अवगत करवाया गया था, परन्तु इसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः भविष्य हेतु यह सुझाव दिया जाता है कि परिषद् के वित्तीय में प्रबन्धन को और मजबूत करते हुए प्राप्त अनुदानों का सही तथा उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

8 परिषद् के स्वयं संसाधनों को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता

वित्तीय स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नगर परिषद् श्री नैणादेवी जी को अपनी आय के स्त्रोतों को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यदि संलग्न वित्तीय स्थिति में वर्तमान स्त्रोतों का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इसमें प्रमुख अथवा सबसे बड़ा भाग अनुदानों से किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज का है जो कि एक स्थाई संसाधन नहीं है। अतः परिषद् स्वयं संसाधनों को सुदृढ़ करने हेतु अंकेक्षण के निम्नलिखित सुझावों पर भी विचार कर सकती हैः–

(क) बस अड्डा नैणादेवी के पास निर्मित की जा रही कार पार्किंग को नक्शे तथा स्वीकृत प्रस्तावानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि अधिकतम राशि किराए के रूप में प्राप्त की जा सके।

(ख) उपरोक्त कार पार्किंग के पहले से निर्मित प्रथम तल को उपयोग में लाने हेतु रैम्प का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस तल को भी किराए पर देकर आय बढ़ाई जा।

(ग) नैणादेवी उत्तर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है जहां प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं के साथ लाखों वाहन भी आते हैं। वर्तमान में परिषद् के पास स्थाई पक्की पार्किंग की जो सुविधा उपलब्ध है उसमें एक बार में मात्र कुछ सौ वाहन ही खड़े किए जा सकते हैं। बाकी वाहन बेतरतीब तरीके से सड़क किनारे खड़े रहते हैं। यदि परिषद् द्वारा इन वाहनों के लिए हिमाचल प्रदेश

के बड़े शहरों की नगर परिषदों द्वारा अपनाई गई पीली रेखा पार्किंग पद्धति को अपनाया जाता है तो इस प्रकार की पार्किंग को ठेके पर देने से परिषद् को अतिरिक्त आय का स्त्रोत मिलने के साथ साथ कस्बे में इन वाहनों की वजह से होने वाली अव्यवस्था से भी छुटकारा मिल जाएगा।

9 संस्थापना पर निर्धारित सीमा से ₹50.13 लाख का अधिक व्यय करना

(क) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के नियम 53(1) के प्रावधान तथा निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्याः यू•एल•बी•–एच(ए)1/87–9237–84 दिनांक 20–06–2001 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नगर परिषदों में संस्थापना पर कुल राशि का एक तिहाई व्यय करने हेतु सीमित किया गया था, परन्तु नगर परिषद् नैनादेवी द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान इस मद पर निर्धारित सीमा से निम्नानुसार रु50,13,485/–का अधिक व्यय किया गया हैः–

वर्ष	कुल व्यय	अपेक्षित एक तिहाई स्थापना व्यय	वास्तविक स्थापना व्यय	अधिक किया गया व्यय
2013–14	10377678.00	3459226.00	4213983.00	754757.00
2014–15	10034050.00	3344683.00	5297267.00	1952584.00
2015–16	7886542.00	2628847.00	4934991.00	2306144.00
कुल योगः				**5013485.00**

अतः अधिक व्यय की राशि को सक्षमाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियमानुसार (Establishment Check/Pay Register) का पूर्ण रुप से निर्माण न करने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि परिषद् के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन भत्तों, बकाया राशि आदि के अभिलेखों को अपूर्ण रखा गया है। इसमें समय–समय पर प्रविष्टियां नहीं की गई है। गत अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु परिषद् द्वारा इस बारे में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है तथा अभी भी संस्थापना व्यय रजिस्टर का निर्माण न तो पूर्ण रूप से हर माह नियमानुसार किया जा रहा है और न ही इसमें वेतन बकाया से सम्बन्धित प्रविष्टियां की गई हैं। परिणामस्वरुप अंकेक्षणावधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए किसी भी वेतन बकाया का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सका। यह एक गम्भीर चूक है तथा कार्याकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि इस रजिस्टर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाते हुए कर्मचारियों को भुगतान किए गए समस्त वेतन भत्तों व वेतन बकाया राशि की प्रविष्टियां इसमें करवा कर आगामी अंकेक्षण के दौरान इनका सत्यापन करवाया जाए तथा भविष्य में रजिस्टर का रख–रखाव सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 कनिष्ठ अभियन्ता के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.86 लाख का अधिक भुगतान करना

श्री नरेश, कनिष्ठ अभियन्ता जो कि दिनांक 04–01–2003 से अनुबन्ध कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, की सेवाएं नियमानुसार दिनांक 13–02–2012 को उक्त पद के पे –बैन्ड ₹0300–34800 + ₹3800/– (ग्रेड पे) में नियमित की गई थीं। नियमतीकरण उपरान्त नए कर्मचारी के रूप में कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन वित्त विभाग, हि•प्र• सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन–(पी•आर•)बी(7)–1/2009 दिनांक 26–08–2009 के नियम 3(डी) तथा 7 के सन्दर्भ में इस अधिसूचना के साथ संलग्न वेतन निर्धारण सारिणी (फिटमेंट टेबल) 12 के अनुसार ₹14590/– (₹10790/– + ₹3800/– ग्रेड पे) पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ऐसा न करके श्री नरेश का 13–02–2012 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियमतीकरण के उपरान्त उनका वेतन ₹15480/– (₹11680/– + ₹3800/– ग्रेड पे) पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार ₹890/– प्रतिमाह का अधिक वेतन निर्धारण किया गया है। इस प्रकार किए गए अधिक वेतन निर्धारण के कारण श्री नरेश को 31–03–2016 तक नीचे दी गई सारिणी के अनुरूप कुल ₹85737/– का अधिक भुगतान किया जा चुका है, जो कि अनुचित व अनियमित है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–57 दिनांकः 15/03/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांकः एमसीएनडी/ओडिट/2012–13 से 2014–15–317 दिनांक 19–03–2016 द्वारा उत्तर दिया गया जोकि संतोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए शीघ्रातिशीघ्र श्री नरेश, का कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियमानुसार वेतन का पुर्ननिर्धारण करने के अतिरिक्त अविलम्ब अधिक किए गए भुगतान की वसूली उनसे की जानी सुनिश्चित की जाए।

अवधि		महंगाई भत्ता दर प्रतिशत	भुगतान किया गया वेतन			देय वेतन			अन्तर/ अधिक किया गया मासिक भुगतान	कुल अधिक किया गया भुगतान
			मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल भुगतान	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल देय		
13.2.12 से 29.2.12	17 दिन	65	15480	10062	25542	14590	9484	24074	1468	861
1.3.12 से 30.6.12	4 माह	65	15480	10062	25542	14590	9484	24074	1468	5872
1.7.12 से 31.12.12	6 माह	72	15480	11146	26626	14590	10505	25095	1531	9186
1.1.13 से 31.1.13	1 माह	80	15480	12384	27864	14590	11672	26262	1602	1602
1.2.13 से 30.6.13	5 माह	80	15950	12760	28710	15030	12024	27054	1656	8280

1.7.13 से 31.12.13	6 माह	90	15950	14355	30305	15030	13527	28557	1748	10488
1.1.14 से 31.1.14	1 माह	100	15950	15950	31900	15030	15030	30060	1840	1840
1.2.14 से 28.2.14	1 माह	100	16430	16430	32860	15480	15480	30960	1900	1900
1.3.14 से 30.6.14	4 माह	100	17430	17430	34860	16480	16480	32960	1900	7600
1.7.14 से 31.12.14	6 माह	107	17430	18650	36080	16480	17634	34114	1966	11796
1.1.15 से 31.1.15	1 माह	113	17430	19696	37126	16480	18622	35102	2024	2024
1.2.15 से 31.1.16	12 माह	113	17930	20261	38191	16980	19187	36167	2024	24288
									कुल योग	**85737**

11 सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (Assured Career Progression Scheme) के अन्तर्गत दिए गए अनियमित लाभ

हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–59/2010 दिनांक 09–08–2012 द्वारा जारी नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना (4–9–14) के नियम 4(बी) के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभ देने के लिए उसी प्रक्रिया को अपनाया जाना अपेक्षित है जो कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति देते समय अपनाई जाती है। इसी प्रकार हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–51/98 दिनांक 15–12–1998 द्वारा जारी सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना (8–16–24–32) के नियम 4 (2) में भी योजना के लाभ देने के लिए यही प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन दोनों योजनाओं के इन प्रावधानों का तात्पर्य यह है कि इस लाभ को देने से पूर्व किसी कर्मचारी की इसके लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee) से नियमानुसार इसकी संस्तुती ली जाएगी, परन्तु नगर परिषद् श्री नैणादेवी जी द्वारा श्री प्रकाश चन्द शर्मा, कार्यकारी अधिकारी, श्री नरेश, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्यारे लाल, चपरासी तथा श्री रामपाल फाटक पालक को अंकेक्षणावधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए लाभों का अवलोकन करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं:–

(क) इन लाभों को जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुती नहीं ली गई है।

(ख) इन लाभों को जारी करने से पूर्व किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई भी विभागीय आदेश जारी नहीं किया गया है। मात्र सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका में लाभ को जारी करने के सम्बन्ध में प्रविष्टि करके इन्हें कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।

उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए सभी लाभ अनियमित हैं। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–68 दिनांकः 30/03/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन विसंगतियों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परिषद् को इन सेवा लाभों के नियमों के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जानकारी का अभाव है। इसलिए अब सारी प्रक्रिया को नियमानुसार करते हुए सभी कर्मचारियों को दिए गए इन लाभों के सन्दर्भ में नए आदेश निदेशक, शहरी विकास के अनुमोदन के उपरान्त ही जारी किए जाएं, जिससे इन लाभों का नियमतीकरण सम्भव हो सके तथा निकट भविष्य में ही होने वाली इनमें से तीन कर्मचारियों की सेवानिवृति के समय इन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

12 वेतन निर्धारण में विसंगतियों बारे

(क) श्री प्रकाश चन्द शर्मा, कार्याकारी अधिकारी को दिनांक 01–01–2006 से दिए गए वेतन संशोधन पश्चात उनका गलत वेतन निर्धारण बारे

श्री प्रकाश चन्द शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को दिनांक 02–02–2007 को सचिव के रूप में आठ वर्श का सेवाकाल पूर्ण करने पर तत्कालीन सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना का लाभ देते हुए उनका वेतन ₹7000–10980/– के वेतनमान निर्धारित किया गया था जिसकी प्रविष्टि सेवा पंजिका के पृष्ठ 16 पर की गई है, परन्तु उनका हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–1/2009 दिनांक 26–08–2009 के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2006 से वेतन संशोधन के समय वेतन निर्धारण करते हुए जिनकी प्रविष्टियां पृष्ठ 19 पर हैं उक्त अधिसूचना के नियम 5 तथा 11 के अनुसार सुनिश्चित प्रगतिशील सेवा योजना का लाभ नहीं दिया गया है।

(ख) श्री प्यारे लाल, चपरासी की सेवा पंजिका तथा वेतन निर्धारण में विसंगतियों बारे

श्री प्यारे लाल, चपरासी की सेवा पंजिका तथा व्यक्तिगत सेवा नस्ति की जांच में यह पाया गया कि समय–समय पर वेतन संशोधन तथा सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना के अन्तर्गत उन्हें दिए गए लाभों के परिणामस्वरूप किए गए उनके वेतन निर्धारण में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

(i) वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप गलत वेतन निर्धारण बारे

श्री प्यारे लाल दिनांक 31–12–2005 को ₹2720–4260/– के वेतनमान में ₹4260/– का मूल वेतन ले रहे थे। हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–1/2009 दिनांक 26–08–2009 के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2006 से हुए वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप तत्कालीन वेतनमान ₹2720–4260/– के लिए लागू तलिका संख्या 2

के अनुसार उनको ₹4260/– के मूल वेतन के लिए ₹7930+1400 (₹9330/–) का संशोधित वेतन दिया जाना अपेक्षित था, परन्तु उन्हें इसके स्थान पर उनको ₹7710+1400 (₹9110/–) का संशोधित वेतन दिया गया है।

(ii) सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना के अन्तर्गत लाभ न दिए जाने बारे

श्री प्यारे लाल, चपरासी को हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–59/2010 दिनांक 09–08–2012 द्वारा नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना (4–9–14) के लागू होने के पश्चात उन्हें उसके लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप वाउचर संख्या 18 दिनांक 26–06–2015 से दिए गए बकाया वेतन के सन्दर्भ में प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका के पृष्ठ 14 पर की गई है, परन्तु वाउचर तथा सेवा पंजिकाओं की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में उन्हें इस मामले में नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना (4–9–14) का लाभ नहीं दिया गया है अपितु हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–64/2010 दिनांक 27–09–2012 द्वारा किए गए वेतन संशोधन का लाभ देते हुए मात्र ग्रेड पे ₹1400/– से बढ़ाकर ₹1650/– कर दी गई है।

(ग) श्री राम पाल, फाटक पालक की सेवा पंजिका तथा वेतन निर्धारण में विसंगतियों बारे

उपरोक्त की तरह ही श्री राम पाल, फाटक पालक के सन्दर्भ में भी नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना (4–9–14) के लागू होने के पश्चात उन्हें उसके लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप वाउचर संख्या 18 दिनांक 26–06–2015 से दिए गए बकाया वेतन के सन्दर्भ में प्रविष्टि सेवा पंजिका के पृष्ठ 12 पर की गई है, परन्तु वाउचर तथा सेवा पंजिकाओं की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में इस मामले में नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील सेवा योजना (4–9–14) का लाभ नहीं दिया गया है अपितु हि•प्र• सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी•आर•)बी(7)–64/2010 दिनांक 27–09–2012 द्वारा किए गए वेतन संशोधन का लाभ देते हुए मात्र ग्रेड पे रु1400/– से बढ़ाकर रु1650/– कर दी गई है।

उपरोक्त तीनों प्रकरणों (उप–अनुच्छेद क, ख, ग) के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–68 दिनांकः 30/03/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जैसा कि गत पैरा 11 में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि यह समस्त लाभ अनियमित प्रक्रिया द्वारा दिए गए हैं अतः अब इन सभी प्रकरणों में संस्था स्तर पर पुनः जांच करके निदेशक, शहरी विकास के अनुमोदन व सहमति उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन का पुर्ननिर्धारण करना सुनिश्चित किया जाए।

13 सामान्य भविष्य निधि की राशि को कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक बचत खातों में जमा करवाना

शहरी विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्याः यू डी एच(।।)बी(10) 2/2000 दिनांक 26—12—2003 द्वारा जारी दिशा दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का संचालन एवं प्रबन्धन परिषद् के कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक सामूहिक बैंक खाते से करते हुए कर्मचारियों के भविष्य निधि लैजर खोल कर किया जाना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद श्री नैना देवी जी के सामान्य भविष्य निधि खातों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि यहां पर इस निधि के अभिदान को सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा बैंक में निम्न तालिका अनुसार खोले गए बैंक बचत खातों, जो कि परिषद् के कार्यकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवी (Pledged) हैं, में अलग अलग जमा करवाया जाता है।

क्र०	कर्मचारी का नाम	पद	बचत खाता संख्या	बैंक
1	प्रकाश चन्द शर्मा	कार्यकारी अधिकारी	10610115816	हि०प्र०रा० सह० बैंक, श्री नैना देवी जी.
2	नरेश	कनिष्ठ अभियन्ता	11510103070	हि०प्र०रा० सह० बैंक, श्री नैना देवी जी.
3	बीर सिंह चौहान	कनिष्ठ सहायक	11530535725	एस०बी०आई० श्री नैना देवी जी
4	राम प्रकाश परमार	वरिष्ठ क्लर्क	11530527544	एस०बी०आई० श्री नैना देवी जी
5	संजीव कुमार	चालक	30308016849	एस०बी०आई० श्री नैना देवी जी
6	जगदंबा प्रसाद	वर्क इंस्पैक्टर	30308016362	एस०बी०आई० श्री नैना देवी जी
7	राम पाल	पौंडकीपर	11530527555	एस०बी०आई० श्री नैना देवी जी
8	प्यारे लाल	चपरासी	11530527577	एस०बी०आई० श्री नैना देवी जी

इस प्रकार प्रतिपादित नियमों के अनुसार एकत्र सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की राशि को सरकारी प्रतिभूतियों/बॉन्ड इत्यादि में अधिकतम ब्याज के आधार पर निवेश करने के स्थान पर नगर परिषद श्री नैना देवी जी द्वारा मासिक अभिदान को कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा करवा कर उन्हें इस निधि को स्थापित किए जाने के मूल उद्देश्य/लाभ से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि जहां तो सामान्य भविष्य निधि के अन्य अभिदाता इस दौरान 8 से 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में अर्जित करते रहे हैं वहीं पर इस परिषद् के कर्मचारियों को मात्र 3 से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का लाभ हुआ है। इस प्रकार से प्रतिपादित नियमों की अवहेलना किस स्तर पर तथा किसके आदेशों से हुई है के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2015—16/—74 दिनांकः 11/04/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 श्री राम प्रकाश परमार, लिपिक की सेवा पंजिका में अर्जित तथा अर्धवेतन अवकाश की प्रविष्टियां अवकाश खाते में न करने बारे तथा उनके खाते में शेष उपलब्ध न होने पर भी अर्धवेतन अवकाश स्वीकृत करना

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राम प्रकाश परमार, क्लर्क द्वारा समय समय पर व्यतीत किए गए अर्जित तथा अर्धवेतन अवकाश की प्रविष्टियां उनकी सेवा पंजिका में अवकाश खाते में नहीं की गई हैं अथवा गलत की गई हैं। ऐसे अवकाश का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र•सं.	प्रकार	अवधि	कुल अवकाश	व्यक्तिगत सेवा नस्ति पृष्ठ	टिप्पणी
1	अर्जित	5 से 10–11–1991	6 दिन	241–42	खाते में प्रविष्टि नहीं
2	अर्जित	2 से 13–8–1993	12 दिन	243–44	2 से 13–8–1993 तक आवेदित तथा स्वीकृत 12 दिन के अवकाश के विरूद्ध सेवा पंजिका के पृष्ठ 64–65 पर 10 दिन की ही प्रविष्टि की गई है।
3	अर्जित	27–5–2005 से 4–6–2005	9 दिन	431	कार्याकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत 27–5–2005 से 4–6–2005 तक के 9 दिन के स्थान पर 28–5–2005 से 4–6–2005 तक 8 दिन की ही प्रविष्टि की गई है।
4	अर्धवेतन	12–07–2010 से 21–07–2010	10x2 =20 दिन	482–485	कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

अतः अब तुरन्त प्रभाव से इन अवकाश प्रकरणों का लेखांकन सुनिश्चित करते हुए अवकाश खाते का पुर्ननिर्माण किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त श्री राम प्रकाश परमार, लिपिक के अवकाश खाते की जांच में यह पाया गया कि उन्होंने दिनांक 12 से 16–11–1991 तक पांच दिन के लिए अस्वस्थता प्रमाणपत्र के आधार पर परिणित अवकाश आवेदित किया था जिसे स्वीकृत करते हुए उनके अवकाश खाते में सेवा पजिका के पृष्ठ 63 पर दस दिन के अर्धवेतन अवकाश की प्रविष्टि कर दी गई है, परन्तु इस अवकाश के आरम्भ होने के समय नवम्बर 1991 में उनके अर्धवेतन खाते में मात्र चार दिन का अवकाश शेष था। अतः खाते में शेष उपलब्ध न होते हुए भी स्वीकृत इस 5X2=10 दिन के अर्धवेतन अवकाश के स्वीकृति आदेश का पुर्नावलोकन करते हुए उस समय उपलब्ध अवकाश के लिए संशोधित स्वीकृति आदेश जारी करते हुए अवकाश खाते का पुर्ननिर्माण सुनिश्चित किया जाए।

15 श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता की नियमित सेवा प्रारम्भ होने पर अवकाश खाते में प्रथम अग्रिम जमा का गलत लेखांकन करना

श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता ने दिनांक 13–2–2012 को नियमित कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा का आरम्भ की गई। सी•सी•एस• (अवकाश नियम) 1972 के नियमों के अनुसार केवल 1–03–2012 से 30–06–2012 तक के सम्पूर्ण महीनों के लिए ही उनके अर्जित व अर्धवेतन अवकाश खातों में अग्रिम अवकाश क्रमशः 10 व 7 दिन के लिए जमा किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उनके खातों में इसके स्थान पर क्रमशः 11 व 8 दिन अग्रिम जमा किए गए हैं। अतः अब इस प्रकार अधिक

जमा किए गए दिनों के लिए समायोजन प्रविष्टियां करते हुए अवकाश खातों का पुर्ननिर्माण सुनिश्चित किया जाए।

16 कर्मचारियों की सेवा पंजिका पुस्तकों का निर्माण नियमानुसार न करना

परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं के अवलोकन से उनके रखरखाव में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः—

(क) सेवा पंजिकाओं में वार्षिक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रविष्टि नियमानुसार नहीं की गई है। उदाहरण के लिए दिनांक 01—01—2006 से हुए वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप वेतनमान में परिवर्तन के लिए संशोधनोपरान्त 01—01—2006 से लेकर संशोधन किए जाने की तारीख़ तक सेवा पंजिका में वेतन पुर्ननिर्धारण की क्रमवार समस्त प्रविष्टियां की जानी अपेक्षित थीं परन्तु ऐसा न करते हुए मात्र संशोधनोपरान्त जो अन्तिम वेतन की प्रविष्टि की गई है। इसी प्रकार वेतन पुर्ननिर्धारण के अन्य मामलों में भी किया गया है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए गलत प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाए तथा अब तक नहीं की गई प्रविष्टियों को ठीक करके भविष्य हेतु सही प्रक्रिया का अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) सेवा पंजिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी भी प्रकार के वेतन पुर्ननिर्धारण के मामले में परिषद् द्वारा कोई भी विभागीय आदेश जारी नहीं किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ निम्न प्रकार से हैंः—

(i) श्री प्रकाश चन्द शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को 4—9—14 योजना के अन्तर्गत दिया गया लाभ।

(ii) श्री नरेश, कनिष्ठ अभियन्ता को दो वर्ष के सेवाकाल के बाद का लाभ, जिसे सेवा पंजिका में 4—9—14 योजना के अन्तर्गत लाभ लिखा गया है।

(iii) श्री प्यारे लाल, सेवादार तथा श्री रामपाल फाटक पालक को 4—9—14 योजना के अन्तर्गत दिया गया लाभ।

अतः उक्त के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भूतकाल की त्रुटियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तथा भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

17 सेवानिवृत कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेख में त्रुटियां

सेवा निवृत कर्मचारियों को भुगतान से सम्बन्धित अलग से रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः परिषद को सुझाव दिया जाता है की सेवा निवृत कर्मचारियों को भुगतान सम्बन्धी लेखों का अलग से रजिस्टर तैयार किया जाए ताकि गलत भुगतान की सम्भावना को रोक लगाई जा सके। इसके अतिरिक्त पैन्शन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पैन्शन, लीव एनकैशमैन्ट व अन्य लाभों की प्रविष्टियां भी उनकी सेवा पंजिका में दर्ज नहीं की गई हैं। इस अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उजागर किए जाने के बावजूद भी कोई सुधार न किए जाने तथा निर्धारित प्रक्रिया को न अपनाए जाने बारे

वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु कर्मचारियों को सेवानिवृति के उपरान्त दिए जाने वाले समस्त भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख को नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती दावे के रुप में ₹750 का अनुचित भुगतान करना

वर्ष 2012–13 में वाउचर क्रमांक 4 दिनांक 1–9–12 जिसमें परिषद् के विभिन्न कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती दावों का भुगतान किया गया है में से एक भुगतान ₹750/– का श्री नरेश, कनिष्ठ अभियन्ता को किया गया है। यह भुगतान उन्हें नज़र के चश्मे, जो कि सूरज ऑपटीशियन, बिलासपुर से कैश मैमो क्रमांक 189 दिनांक 13–8–2012 से खरीदा गया था, के लिए किया गया है। मैडिकल अटैंडैंस रूल्ज़ 1944 के अध्याय 8 में दिए गए नियम 15(2)बी के अनुसार नजर के चश्मे के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती का भुगतान मोतियाबिंद के लिए शल्यक्रिया के उपरान्त ही अधिकतम ₹200/–के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जा सकता है। चूंकि श्री नरेश द्वारा ऐसी कोई शल्यक्रिया नहीं अपनाई गई है। अतः उन्हें किया गया यह भुगतान नियमों के विरूद्ध है जिसकी शीघ्रातिशीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 परिषद् के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रवास के दौरान दैनिक भत्ते का गलत दर से ₹2474 का भुगतान करना

सी सी एस (यात्रा भत्ता) नियम के नियम 51 के उप नियम 3 (x) (Sub Rule 3(x) to SR 51 in FRSR Part 2) के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रवास के दौरान यात्रा के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग करता है तथा जिस दिन यात्रा प्रारम्भ की थी उसी दिन वपिस मुख्यालय लौट आता है, तो यह यात्रा स्थानीय प्रवास/यात्रा (Local Journey) मानी जाती है और इसके लिए दैनिक भत्ते का भुगतान पात्रता के 50 प्रतिशत की दर से किया जाता है। परिषद् के अवधि 04/2012 से 03/2016 तक के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समय–समय पर परिषद् के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रवास के दौरान दैनिक भत्ते का भुगतान जिस दर से किया गया है वह नियमानुसार गलत है। इस प्रकार के अनुचित भुगतान का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰सं.	अधिकारी/कर्मचारी	वाउचर	दिनांक	नियम 51 के उप नियम 3(x) के अधीन अनुचित भुगतान	टिप्पणी
1	श्री एम॰ डी॰ शर्मा, कार्याकारी अधिकारी	31(1)	16.08. 2013	262.00	कार्यकारी अधिकारी ऊना होते हुए परिषद् नैनादेवी के अतिरिक्त कार्याभार के दौरान की गई विभिन्न यात्राएं।
2	–यथोपरि–	34	19.4.2012	723.00	अलग–अलग प्रवास के दौरान की गई विभिन्न यात्राएं।

3	–यथोपरि–	8	4.4.2013	948.00	–यथोपरि–
4	–यथोपरि–	34	22.5.2013	179.00	–यथोपरि–
	श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	31(2)	16.08. 2013	362.00	–यथोपरि–
			कुल योग	**2474.00**	

अतः गलत दर से किए गए इस ₹2474/–के अनुचित भुगतान को तुरन्त सम्बन्धित अधिकारियों से वसूल करके परिषद् निधि में जमा करवाना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में यात्रा भत्ता दावों का भुगतान नियमानुसार ही करना सुनिश्चित किया जाए।

20 निविदा आमन्त्रित किए बिना ही ₹5119 की खरीद करना

वाउचर संख्या 9 दिनांक 01–09–2012 द्वारा ₹5119/– का भुगतान तीन छत्त वाले हैवल कम्पनी के पंखे ₹1500/– प्रति पंखा + कुल वैट ₹619/– की दर से मैसर्ज़ एस के एँट्रप्राइज़, नालागढ़ से उनके बिल संख्या 440 दिनांक 25–07–2012 से खरीदने पर किया गया। हि•प्र• वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक व्यय को करने से पूर्व निविदाएं आमन्त्रित करनी आवश्यक है, परन्तु इस प्रकरण में इस प्रक्रिया को न अपनाए जाने के कारण यह खरीद अनियमित है जिसे अब सक्षम उच्चाधिकारी की एकल निविदा के आधार पर खरीद की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 गृहकर की बकाया ₹22.39 लाख की वसूली न करने बारे

नगर परिषद् श्री नैनादेवी जी द्वारा जारी विवरणानुसार 31–03–2016 तक गृहकर की ₹22,39,228/– वसूली हेतु शेष थी, जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 'ङ•'** में दिया गया है। अतः परिषद् द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 में दिए गए प्रवधानों के अनुसार गृहकर की समय पर वसूली न किए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की देरी न हो, इस बारे में भी आवश्यक कदम उठाने सुनिश्चित किए जाएं।

22 गृहकर की बकाया राशि पर अधिभार न लगाने के कारण ₹3.64 लाख की वित्तीय हानि बारे

गृहकर अभिलेखों की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया गया की गृहकर दाताओं से निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करने पर नियमानुसार 20 प्रतिशत अधिभार की राशि वसूली जानी अपेक्षित थी, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा देरी से गृहकर चुकाने वालों से नियमानुसार अधिभार नहीं वसूला गया जिस कारण परिषद को ₹364728/– की हानि उठानी पड़ी, जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष 2012–13

क्र•सं.	वार्ड	गृहकर दाता का नाम	पिता/पति का नाम	गृहकर	अधिभार की राशि
1	2	अजय कुमार	भगतराम	7900	1580
2	1	अराधना	मधू सूदन	19470	3894
3	2	उमेश	तारा नन्द	28106	5621
4	1	अक्षर कुमार	गंगा राम	9398	1880
5	1	अन्ती देवी	सोहन लाल	3940	788
6	4	अमरी देवी	सीता राम	3674	735
7	4	भाग सिंह	सुख राम	5064	1013
8	1	चम्पा देवी	सुन्दर राम	3681	737
9	2	चन्द्रमौली	जीवानन्द	9366	1874
10	1	धर्मपाल	सोहन लाल	3940	788
11	1	दिनेश कुमार	उमा दत्त	26386	5278
12	3	दीवान चन्द	परस राम	30829	6165
13	4	देव राज	कृपा राम	4590	900
14	3	गोमती देवी	जगदम्बा प्रसाद	4376	875
15	1	गायत्री देवी	योगेश्वरी प्रसाद	18564	3713
16	1	सुरेश कुमार	जगदीश कुमार	20649	4130
17	1	ज्वाला प्रसाद	नन्द लाल	9132	1826
18	2	कैलाश कुमार	तारा चन्द	26865	5373
19	1	महेश कुमार	गंगा राम	4168	834
20	1	मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी	——	986872	197375
21	4	मस्त राम	लभ्भू राम	9655	1931
22	4	मदन लाल	लभ्भू राम	6756	1351
23	1	प्रोमिला	वीरेन्द्र	7944	1589
24	1	प्रभात कुमार	रोशन लाल	6701	1340
25	3	श्याम किशोर	निक्का राम	6750	1350
26	4	श्याम लाल	देवी राम	4504	900
27	4	उमेश कुमार	चन्द्र प्रकाश	12885	2578
28	4	विनोद कुमार	छोटू राम	6756	1351
			वर्ष का योग		**257769**
वर्ष 2013—14					
1	2	अजय कुमार	भगत राम	5175	1035
2	1	अमरा देवी	बदरी प्रसाद	348	70
3	1	सुरेश कुमार	जगदीश कुमार	41486	8298
4	2	चन्द्रमौली	जीवानन्द	37313	7427
5	4	उमेश कुमार	चन्द्र प्रकाश	12885	2578
6	2	आनन्द गोपाल	भगत राम	6040	1208
7	4	अमित कुमार	सुशील कुमार	767	154
8	6	अनिरूद्ध	नारायण दत्त	750	150
9	2	बन्धु शेखर	भगत राम	5175	1035
10	1	छोटे लाल	लेख राज	378	75
11	4	चन्द्र प्रकाश	चिरन्जी लाल	14395	2880
12	1	धर्मपाल	लेख राज	46344	9269
13	2	प्रेम चन्द	भगत राम	5175	1035
14	2	संजय कुमार	भगत राम	6767	1354
15	7	वेद प्रकाश	चिरन्जीवी लाल	10110	2022
16	2	कुसुम लता	कुन्जबिहारी	18495	3700
			वर्ष का योगः—		**42290**
2014—15					
1	1	अक्षर कुमार	गंगा राम	2590	518
2	4	अमरी देवी	सीता राम	6140	1228

3	4	भाग सिंह	सुख राम	4130	826
4	3	दीवान चन्द	परस राम	4460	892
5	4	देव राज	कृपा राम	1130	226
6	1	गायत्री देवी	योगेश्वरी प्रसाद	4650	930
7	2	कैलाश कुमार	तारा चन्द	3100	620
8	1	मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी	––	246718	49344
9	4	मस्त राम	लभ्भू राम	2260	452
10	4	मदन लाल	लभ्भू राम	1710	342
11	1	प्रभात कुमार	रोशन लाल	450	90
12	4	उमेश कुमार	तारा चन्द	2950	590
13	2	अजय कुमार	भगत राम	6510	1302
14	1	आशा देवी	संजीव कुमार	690	138
15	4	चूहड़ सिंह	जगत राम	3865	773
16	1	राजीव कुमार	दौलत राम	16080	3220
17	1	रजनी देवी	भगवती प्रसाद	685	137
18	6	राकेश कुमार	जगदीश	570	114
19	1	शिव कुमार	सोहन लाल	990	198
20	1	सीता देवी	ओम प्रकाश	530	106
21	1	सुकला देवी	गंगा राम	1075	215
22	1	शक्ति प्रसाद	हरी राम	790	158
23	3	श्याम किशोर	निक्का राम	2250	450
24	4	सावित्री देवी	देवी राम	1130	226
25	1	तृप्ता देवी	राजीव कुमार	690	138
26	4	विनोद कुमार	छोटू राम	3380	676
27	7	अनूप कुमार	बदरी राम	2670	534
28	4	श्याम लाल	देवी राम	1130	226
			वर्ष का योग		**64669**
		तीन वर्षों के लिए कुल योग			**364728**

अतः अधिभार न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृह कर दाताओं से वसूली योग्य राशि की अपने स्त्तर पर पुनः गणना करके नियमानुसार अधिभार लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के लिए अंकेक्षण पूर्ण होने तक गृहकर की बकाया राशि विवरण तैयार नहीं किया गया था जिस कारण उस पर अधिभार की गणना नहीं की जा सकी है। अतः परषिद् द्वारा अपने स्त्तर पर इस वर्ष के लिए भी गृहकर न चुकाने वाले गृहकर दाताओं से अधिभार की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

23 दुकानों के किराये की बकाया ₹39.63 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद् द्वारा किराए पर दी गई दुकानों से ₹39,63,818/– वसूली हेतु 31–03–2016 तक शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 'च'** पर दिया गया है। अंकेक्षणावधि के चार वर्षों के दौरान परिषद् के स्वँय संसाधनों से आय का औसत मात्र ₹95.25लाख है। यदि इस औसत के साथ तुलना की जाए तो स्पश्ट होता है कि 31–03–2016 को परिषद् की औसत आय का 42 प्रतिशत किराए के रूप में वसूली हेतु शेष है, जोकि यह परिलक्षित करता है कि परिषद न तो आय के अपने सीमित संसाधनों को मजबूत करने की तरफ ध्यान दे रही

है और न ही उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण दोहन करने की तरफ ध्यान दे रही है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2015–16/–75 दिनांकः 12/04/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मासिक किराए की समय पर नियमित वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समय पर किराया न देने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) व (3) के प्रावधानों के अनुसार उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद स्तर पर आन्तरिक जांच करके यह भी सुनिश्चित किया जाए कि क्या उक्त वसूली गई राशि में मन्दिर न्यास नैनादेवी जी की किराए पर दी गई दुकान नं0 एक से सम्बन्धित जांच भी सम्मिलित है अथवा नही! यदि उक्त वसूली गई राशि में दुकान नं0 एक की वसूली गई राशि को सम्मिलित नही किया गया है तो उस राशि को सम्मिलित करके दुकान की किराए की सम्पूर्ण वसूली योग्य राशि को दर्शाया जाए।

24 मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी से दुकान नं• एक के किराये की ₹15.42 लाख की वसूली न करने बारे

परिषद के किराया मांग व संग्रह अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नवम्बर 2008 से मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी को दुकान नं• एक ₹52790/–प्रतिमाह किराये पर दी गई है। परिषद द्वारा मन्दिर न्यास से तो दुकान के किराये का इकरारनामा बनाया गया और न ही प्रतिभूति राशि की वसूली की गई। अतः इकरारनामा न बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा निम्न विवरणानुसार किराये की ₹16,08,557/– की वसूली न करने के कारण भी स्पष्ट किए जाएं तथा इस राशि की वसूली मन्दिर न्यास से यथाशीध्र वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त उक्त दुकान का अनुबन्ध तुरन्त किया जाए ताकि भविष्य में कोई विधिक अड़चन न आए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त उप–अनुच्छेद में वर्णित ₹15,42,477/– पिछले कई वर्षों से मन्छिर न्यास द्वारा नहीं चुकाई जा रही है। अतः अब हि• प्र• परिषद् वित्तीय नियम 1975 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए इस राशि के ऊपर दण्डात्मक ब्याज की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

दिनांक 01–04–2012 को वसूली हेतु शेष बकाया राशिः	21,64,390
01–04–2012 से 31–03–2016 तक ₹633480 प्रतिवर्ष की दर से देय किराया	2533920
कुल राशि	**4698310**
01–04–2012 से 31–03–2016 के दौरान वसूली गई राशि	31,55,833
दिनांक 31–03–2016 को वसूली देय शेष राशि	**1542477**

25 परिषद् की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के बारे में

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद् की दुकान क्रमांक 1 से समबन्धित नस्ति के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि नगर परिषद् श्री नैनादेवी जी की दुकान क्रमांक एक, जो कि मन्दिर के मुख्य द्वार के सामने है, का आधा भाग परिषद् द्वारा अपने पत्र क्रमांकः 1 एम सी (169)/92—1502 दिनांक 14.11.1995 द्वारा ₹9981/— के वार्षिक किराए पर मन्दिर न्यास श्री नैनादेवी जी को गठड़ी घर के रूप में इस्तेमाल हेतु दिया गया था। इस पत्र की अन्तिम शर्त के अनुसार परिषद् द्वारा इस दुकान के स्मात्तिव सम्बन्धि समस्त अधिकार अपने पास रखे गए थे तथा इसके सन्दर्भ में परिषद का निर्णय ही अन्तिम तथा मान्य माना गया था, परन्तु कुछ ही समय उपरान्त मन्दिर न्यास द्वारा इस सम्पत्ति का प्रयोग गठड़ी घर के स्थान पर व्यावसायिक रूप में कड़ाह प्रसाद की दुकान के लिए करना शुरू कर दिया था। तत्पश्चात मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने कार्यलय पत्र क्रमांकः टीटीएनडी—नगर परिषद्/—48 दिनांक 11—01—2005 द्वारा दुकान के जीर्णोद्धार हेतु पूरी दुकान मन्दिर न्यास को सौंपने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के पत्र के सन्दर्भ में परिषद् द्वारा अपने कार्यालय आदेश 26एमसीएनडी (9)/2007—872 दिनांक 15/03/2008 द्वारा जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण के पश्चात हेतु परिषद् को वपिस सौंपने हेतु सौंप दिया था। तदोपरान्त नस्ति में उपलब्ध पत्राचार के अनुसार जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण के पश्चात मन्दिर न्यास द्वारा इस सम्पत्ति पर स्वयं व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है तथा बार—बार अनुरोध के बावजूद भी अभी तक यह दुकान परिषद को वापिस नहीं सौंपी गई है। यद्यपि इसके बदले में न्यास द्वारा अपनी एक अन्य दुकान जो कि मन्दिर के पीछे की तरफ है को स्वयं किराए पर देकर उसका किराया परिषद् को सौंपा जा रहा है परन्तु दुकान नं• 1 का कब्जा अभी तक परिषद् को वापिस नहीं दिया गया है।

उपरोक्त कुछ तथ्यों तथा नस्ति में उपलब्ध अन्य अभिलेख से स्पष्ट है कि मन्दिर न्यास द्वारा परिषद् की सम्पत्ति पर पिछले आठ वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है, परन्तु परिषद् द्वारा इसे वापिस पाने हेतु कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किए गए। अतः सुझाव दिया जाता है कि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण इस सम्पत्ति को वापिस पाने हेतु मामला उच्चस्तर पर उठाया जाए।

26 दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न करने बारे

परिषद द्वारा किराये पर दी गई विभिन्न दुकानों के इकरारनामों की जांच के उपरान्त यह पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न दुकानें गत कई वर्षो से किराये पर दी गई हैं जिनके इकरारनामों की शर्तों के अनुसार किराए में प्रति पांच वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी अपेक्षित है तथा साथ ही वृद्धि उपरान्त नया इकरारनामा बनाया जाना अपेक्षित है, परन्तु अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि कई प्रकरणों में दुकानदारों से बढ़ा हुआ किराया तो वसूल हो रहा है और न इकरारनामों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–75 दिनांकः 12/04/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा शर्तों के अनुसार इन इकरारनामों का नवीनीकरण यथाशीध्र करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 दुकानों के किराये के इकरारनामें न बनाए जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के इकरारनामें की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दुकानदारों के साथ कई वर्षों से दुकाने किराए पर देने के बावजूद भी अभी तक इकरारनामें नहीं बनाए गए हैं। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–75 दिनांकः 12/04/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण देते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अविलम्ब इन दुकानदारों के साथ दुकानें किराए पर दिए जाने के समय से इकरारनामें बनाया जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

क्र•सं.	दुकान न•	नाम दुकानदार	दुकान जब से किराये पर दी है
1	1	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी	11/2008
2	37	राम चंद सुपुत्र सीता राम	5/2003
3	43	जगदेव चंद सुपुत्र लेख राम	5/2010
4	45	विनोद कुमार सुपुत्र सीता राम	5/2010
5	54	हि0प्र0 पथ परिवहन निगम श्री नयना देवी जी (आरक्षण केन्द्र)	––
6	55	श्री भाग सिंह सपुत्र श्री हरि राम	––

28 नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹0.47 लाख की वसूली न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न मोबाइल सेवा कम्पनियों द्वारा रिहाईशी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर स्थापित किये गए हैं। जिन का ब्यौरा **परिशिष्ट (छ)** में दर्शाया गया है। परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31–03–2016 हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः डी आई टी– डी ई वी (आाई टी) 2005 (एम आई एस सी) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की बकाया ₹47,813/–वसूली हेतु को शेष है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष मे ंजमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 दुकानदारों से प्रतिभूति की ₹0.58 लाख की वसूली न करने बारे

परिषद के किराया मांग व संग्रह अभिलेख व दुकानों के इकरारनामों के जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध/इकरारनामों में दी गई शर्तों की अनुपालना में प्रतिभूति के रुप में ₹58000/–विभिन्न दुकानदारो से वसूल नहीं की थी। अतः प्रतिभूति राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राशि की वसूली तुरन्त प्रभाव से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र॰	दुकान क्रमांक	नाम दुकानदार	प्रतिभूति राशि
1	7	नीरज कुमार पुत्र राम किशन	9000
2	22	लाल सिंह पुत्र सूरत राम	9000
3	23	फुमण सिंह सुपुत्र लितड़ राम	8000
4	25	रोशन लाल सुपुत्र संत राम	8000
5	26	कर्म चंद सुपुत्र दया राम	8000
6	34	रत्न लाल पुत्र गुरबख्श	8000
7	44	रत्न लाल पुत्र गुरबख्श	8000
		कुल योग	**58000**

30 तहबाजारी की ₹4080/–की कम वसूली बारे

तहबाजारी के ठेके से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि परिषद् द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष 2014–15 के दौरान ठेकेदार से ₹4080/–की कम वसूली की गई है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार से इस राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ठेकेदार का नामः श्री कमल सिहं
ठेके की अनुबन्धित/नीलामी की राशिः 6,50,000
मासिक किश्तों की वसूली का विवरणः

क्र॰	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
1	30/21	10.3.2014	54240
2	16/23	9.5.2014	54160
3	29/23	9.6.2014	54160
4	47/23	8.7.2014	54160
5	15/25	11.8.2014	54160
6	11/26	8.9.2014	54160
7	4/27	9.10.2014	54160
8	14/27	10.11.2014	54160
9	23/27	9.12.2014	54160
10	35/27	7.1.2015	54160
11	3/21	27.2.2015	25000
12	चैक संख्या 4394210	10.2.2015	54240
13	सीधे बैंक खाते में जमा	27.2.2015	25000
		कुल योग	**645920**

अन्तर वसूली हेतु शेष (650000–645920) 4080

31 परिषद् के वाहन के सन्दर्भ में औसत तेल खपत का निर्धारण न करने बारे

परिषद् के वाहन टाटा सूमो गाड़ी के अभिलेख की जांच में पाया गया कि इसके सन्दर्भ में परिषद् द्वारा सक्षमाधिकारी से औसत तेल की खपत का निर्धारण नहीं करवाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष औसत तेल खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा इस औसत खपत को अगले वर्ष अथवा आगामी टैस्ट चैक जो भी पहले हो तक बनाए रखना होता है। इस चूक बारे तथ्यपूरक स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करते हुए, इस सन्दर्भ में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत यदि वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक खपत किए गए तेल की गणना परिषद् द्वारा अपने स्तर पर करके इसकी लागत की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

32 प्रतिभूति जमा राशि के रजिस्टर/अभिलेख का निर्माण न किया जाना

नगर परिषद श्री नयना देवी जी द्वारां निर्माण कार्य करवाने हेतु प्रतिभूति की राशि निर्मित दुकानों को किराए पर देते समय प्राप्त प्रतिभूति राशि, तहबाजारी के ठेके की प्रतिभूति राशि, खुली बोली के दौरान प्रतिभूति राशि व अन्य कार्यों से सम्बन्धित ली जाने वाली प्रतिभूति की राशियों को अलग बैंक खाते में तो जमा करवाया जाता है, परन्तु गत अंकेक्षण के दौरान भी परिषद् को इन प्रतिभूतियों के लिए अलग प्रतिभूति रजिस्टर/लैजर का निर्माण किए जाने बारे सुझाव दिये जाने के पश्चात भी अभी तक परिशद द्वारा इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण से प्राप्त प्रतिभूति तथा कार्य पूर्ण होने पर उनकी वापिस की गई राशियों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः एक बार पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिभूति रजिस्टर/लैजर का निर्माण नियमानुसार प्रथमिकता के आधार पर करवा कर आगामी अंकेक्षण के दौरान इसका सत्यापन करवाया जाए तथा भविष्य में इसका निर्माण दैनिक आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए।

33 स्टील की खरीद में दर संविदा (Rate Contract) से अधिक दर पर भुगतान करने से परिषद् को ₹57284/–की हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 10 दिनांक 01–09–2012 द्वारा वार्ड नं॰ 4 में बस अड्डे के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग के निर्माण में उपयोग हेतु नालागढ़ स्टील रोलिंग मिल्ज़ प्रा॰ लि॰ से उनके बिल संख्या 648 दिनांक 27–08–2012 के अन्तर्गत विभिन्न माप का कुल 8.960 मीट्रिक टन स्टील जो कि आई एस आई मार्क के मानक आई एसः 1786–2008 (एफ ई–415) के अनुरूप थी [ISI Marked conforming to IS:1786-2008 (Fe-415)] तथा हिमाचल प्रदेश सरकार

के उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्याः 4—इन्ड/एस पी—3(एम 84)10/2011(14) दिनांक 09—09—2011 **(परिशिष्ट 'ज')** द्वारा अनुबन्धित दर संविदा, जो कि दिनांक 30—09—2012 तक मान्य थी, के आधार पर परिषद् द्वारा खरीदा गया है। वाउचर की जांच में पाया गया कि इस खरीद में सरकारी दर संविदा से अधिक दर पर भुगतान किया गया है तथा भुगतान की गई दरें उद्योग विभाग के उपरोक्त पत्र के पृष्ठ 5 पर नालागढ़ स्टील रोलिंग मिल्ज़ प्रा॰ लि॰ के सन्दर्भ में दी गई दरों से मेल नहीं खाती हैं। इस प्रकार इस खरीद हेतु ₹57284/— के अधिक भुगतान का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में स्पश्ट है।

क्र॰	स्टील का माप (मि॰ मी॰)	वजन (मीट्रिक टन)	भुगतान की गई दर	कुल भुगतान	अनुबन्धित दर	अपेक्षित भुगतान	अन्तर
1	8	2.775	49277.00	136744.00	42700.00	118493.00	18251.00
2	10	0.575	48277.00	27759.00	42200.00	24265.00	3494.00
3	16	1.525	47777.00	72860.00	41200.00	62830.00	10030.00
4	20	3.025	46777.00	141500.00	41200.00	124630.00	16870.00
5	25	1.060	46777.00	49584.00	41200.00	43672.00	5912.00
			योगः	**428447.00**		**373890.00**	**54557.00**
			वैट (5:):	21422.00		18695.00	2727.00
			माल भाड़ाः	4360.00		4360.00	0.00
			लदान मजदूरीः	450.00		450.00	0.00
			ए॰जी॰टी॰:	672.00		672.00	0.00
			माल भाड़े पर सेवा करः	109.00		109.00	0.00
			शिक्षा प्रभारः	3.00		3.00	0.00
			कुल योगः	**455463.00**		**398179.00**	**57284.00**

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए. डी./2015—16/—76 दिनांकः 13/04/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की परिषद् द्वारा तुरन्त गहन जांच की जाए तथा इस हानि के लिए सम्बन्धित कर्मचारी की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए तुरन्त वसूली करनी सुनिश्चित की जाए। इस के अतिरिक्त यदि इस दर संविदा के आधार पर कोई अन्य खरीद भी की गई है तथा यदि उसमें भी यदि अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसकी भी वसूली करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 वार्ड नं॰ 4 में बस अड्डे के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण

ठेकेदारः	मै॰ कुन्डला बिल्डर्ज़ प्रा॰ लि॰, गांव बिलांवाली, वार्ड नं॰ 9, डा॰ बद्दी, तह॰ नालागढ़, जिला सोलन, हि॰प्र॰
ठेका आबंटन पत्र संख्याः	9एम सी एन डी—2(418)/2010—11—1660—63 दिनांकः 28—09—2010
अनुबन्ध संख्याः	1/2010—11 दिनांकः 12—10—2010

अनुमानित लागतः	₹1,51,12,526 / —
तकनीकी स्वीकृतिः	₹1,68,67,000 / —
आबन्टित ठेके की राशिः	₹1,41,20,674 / —
प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृतिः	उपलब्ध नहीं अथवा प्राप्त नहीं की गई है
कार्य शुरू करने की दिनांकः	अनुबन्ध के अनुसारः 13—10—2010
कार्य पूर्ण करने के लिए दिया गया समयः	12 महीने
कार्य समाप्ति की दिनांकः	अनुबन्ध के अनुसारः 12—10—2011
आबन्टित ठेके की राशिः	₹,39,791 / —
तीसरे चलत बिल तक किये गए कुल कार्य की लागतः	₹98,11,542 / —
कार्य पूर्ण करने की दिनांकः	कार्य अभी अधूरा है।
माप पुस्तिका संख्याः	56 व 57 पृष्ठ 77—101 व 81—86 क्रमशः (तीसरा चलत बिल)

इस कार्य से सम्बन्धित नस्तियों के अवलोकनोपरान्त कार्य आरम्भ होने से लेकर अब तक इस कार्य में हुई प्रमुख घटनाओं का क्रमवार सम्पूर्ण ब्यौरा (Chronology of events) निम्न प्रकार से हैः—

क्र•	पत्र संख्या / संदर्भ	दिनांक	विवरण / घटनाक्रम
1	9एमसी एन डी—2(418) / 2010—11—1660—63	28—09—2010	कार्य का आबन्टन
2	अनुबन्ध संख्याः 1 / 2010—11	12—10—2010	अनुबन्ध हस्ताक्षरित
3	9एम सी एन डी—2(418) / 2010—11—229	07—02—2011	कार्य निष्पादन की गति बढ़ाने हेतु निर्देश
4	9एम सी एन डी—2(418) / 2010—11—1029	24—05—2011	कार्य निष्पादन की धीमी गति तथा आठ महीने बीत जाने के बावजूद भी ढांचे के कॉलम की नींव भी न रखे जाने बारे चेतावनी तथा कार्यस्थल पर प्रशिक्षित इन्जीनियर को नियुक्त करने सम्बन्धी निर्देश जारी किए गए
5	9एम सी एन डी—2(418) / 2010—11—1135	13—06—2011	खोदी गई मिट्टी का निपटारा ठेकेदार द्वारा सही तरीके से न करने बारे
6	9एम सी एन डी—2(418) / 2010—11—1466	03—09—2011	निविदा की मद संख्या 11 जिसमें फर्श के नीचे अच्छी तरह से दबा कर पत्थर लगाए / बिछाए जाने थे को सही तरीके से निश्पादित न किए जाने बारे (poor workmanship in execution of the item) चेतावनी जारी

			की गई
7	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1700	15–10–2011	दिनांक 05–10–2011 डाली गई छत्त की सही तरह से सिंचाई न किए जाने तथा छत्त डालते समय छोड़ी गई कमियों बारे चेतावनी जारी की गई
8	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–531	15–05–2012	बीस महीने बीत जाने के बावजूद भी कार्य के पूर्ण न होने बारे चेतावनी जारी की गई
9	परिशद् का प्रस्ताव संख्या 124	09–07–2012	परिषद् द्वारा कार्य को पूर्ण करने की समयसीमा 15–11–2012 तक एक वर्ष एक महीना तीन दिन और बढ़ाई गई
10	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1120	31–12–2012	दिनांक 15–11–2012 तक समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद 31–12–2012 तक भी कार्य के पूर्ण न होने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया
11	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–49	04–02–2013	बचे हुए कार्य को सात दिनों के भीतर पूर्ण करने बारे चेतावनी जारी की गई
12	––	10–02–2013	ठेकेदार द्वारा कार्य को सात दिनों के भीतर हर हाल में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया
13	––	21–03–2013	कार्य के आबन्टन को रद्द करने का फैसला लिया गया तथा परिषद् के अभियन्ता को इस बारे में कार्यवाही आरम्भ करने बारे निर्देश दिए गए
14	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–496–98	17–04–2013	ठेकेदार को बचे हुए कार्य को सात दिनों के भीतर पूर्ण करने बारे अथवा कार्य आबन्टन को रद्द करने बारे अन्तिम चेतावनी जारी की गई
15	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–601	21–05–2013	निदेशक शहरी विकास से कार्य आबन्टन को रद्द करने बारे अनुमति मांगी गई
16	यू•डी•–एच•(एफ•–एम•सी•एन•डी•–इन्जनीयरिंग सैल– 3900–01	14–06–2013	निदेशक शहरी विकास से कार्य आबन्टन को अनुबन्ध के नियमानुसार रद्द करने बारे सहमति प्रदान की गई
17	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1234	14–08–2013	ठेकेदार को जारी निर्माण सामग्री के मूल्य की ₹9,92,700/– अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्डात्मक दर से जमा करवाने को कहा गया
18	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–	31–07–2013	कार्य आबन्टन को रद्द करते हुए रु5,78,077/– का दण्ड डाला गया जिसकी वसूली परिषद् के पास जमा प्रतिभूति राशि में से की जानी थी
19	डायरी नं• 453	08–10–2013	ठेकेदार द्वारा अदालती शपथपत्र के साथ कार्य को 28–02–2014 तक हर हाल में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया

20	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1590	30–10–2013	ठेकेदार को सात दिनों के भीतर परिषद् कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया अन्यथा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र को निरस्त समझा जाएगा
21	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1658–60	03–12–2013	कार्य पूर्ण करने हेतु दिए गए समय में बढ़ौत्तरी
22	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1190	30–08–2014	ठेकेदार को बचे हुए अधूरा छोड़े गए कार्य को पन्द्रह दिनों के भीतर पूर्ण करने बारे अथवा कार्य आबन्टन को रद्द करने बारे अन्तिम चेतावनी जारी की गई
23	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–1477	01–12–2014	ठेकेदार को बचे हुए अधूरा छोड़े गए कार्य को सात दिनों के भीतर पूर्ण करने बारे अथवा कार्य आबन्टन को रद्द करने बारे अन्तिम चेतावनी जारी की गई
24	9एम सी एन डी–2(418)/2010–11–45	17–01–2015	कार्य निष्पादन में पाई गई त्रुटियों को सुधारने हेतु नोटिस जारी किया गया

उपरोक्त बिल की जांच में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:

(क) उपरोक्त क्रमांक 1 से 12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा शुरू से ही इस कार्य के निष्पादन में कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई गई थी। तत्पश्चात भी परिषद् द्वारा कार्य निष्पादन की गति बढ़ाने अथवा ठेकेदार के विरूद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने हेतु विशेष प्रयत्न किए गए प्रतीत नहीं होते हैं।

(ख) दिनांक 31–07–2013 (क्रमांक 18) को परिषद् द्वारा कार्य आबन्टन रद्द किए जाने के बावजूद ठेकेदार के आश्वासन को स्वीकार करते हुए क्रमांक 16 पर निदेशक, शहरी विकास, हि॰ प्र॰ के निर्देशों की अवहेलना में परिषद् द्वारा अपने ही स्तर पर ठेकेदार को कार्य निष्पादन जारी रखने की अनुमति प्रदान किया जाना स्पष्ट करता है कि इस ठेकेदार को अनुचित लाभ देने का प्रयत्न किया गया है।

(ग) परिषद् द्वारा ठेकेदार को इतनी छूट दिए जाने के बावजूद भी अभी तक यह कार्य अधूरा है तथा ठेकेदार को कार्य के निष्पादन में पाई गई त्रुटियों के लिए नोटिस दिया गया है, जिस कारण लगभग ₹35,00,000/– की अनुमानित हानि वर्ष 2012 से अब तक परिषद् को हो चुकी है, जिसका विवरण आगामी पैरे में भी दिया गया है।

(घ) मापन पुस्तिका 57 के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31–03–2016 तक ठेकेदार को कुल 7840 बोरी सीमेन्ट की जारी की गई है, जिसमें से मात्र 7300 बोरी की ही वसूली हुई है। अतः अब अन्तिम बिल बनाते समय शेष 540 बोरी सीमेन्ट की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ड़) माप पुस्तिका 56 के पृष्ठ 82 से 84 पर 8 मि•मी• के स्टील का माप अंकित समय प्रयुक्त स्टील की कुल लम्बाई 8469.70 मी• के स्थान पर 8496 मी• लिखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 0.39 प्रति मीटर की दर से स्टील का कुल बजन 3303.18 कि• ग्रा• के स्थान पर 3313.70 कि• ग्रा• लिया गया है। इस कारण से ₹54/– प्रति किलोग्राम की दर से ठेकेदार को 10.52 कि• ग्रा• स्टील के लिए कुल रु568/– का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली तुरन्त उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–76 दिनांकः 13/04/2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः अब इस बारे में आगामी अंकेक्षण के समय तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण दिए जाए तथा इस प्रकरण में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

35 वार्ड न• 4 में बस अड्डे के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण (सबहैडः पार्किंग के प्रथम तल पर गाड़ियाँ चढ़ाने के लिए रैम्प का निर्माण)

ठेकेदारः	श्री रमेश चन्द
ठेका आबंटन पत्र संख्याः	9एम सी एन डी–2(431)/2012–13–1405–1408 दिनांकः 24–09–2013
अनुबन्ध संख्याः	5/2013–14 दिनांकः 27–09–2013
कार्य शुरू करने की दिनांकः	अनुबन्ध के अनुसारः 09–10–2013 वास्तविकः कार्य शुरू ही नहीं हो सका
कार्य समाप्ति की दिनांकः	03–03–2015 को रैम्प का निर्माण तकनीकी कारणों से सम्भव न होने के कारण यह ठेका पत्र संख्याः 9एम सी एन डी–2(453)/2014–15–164–166 द्वारा रद्द कर दिया गया।
आबन्टित ठेके की राशिः	₹8,39,791/–

(क) उपरोक्त बिल की जांच में पाया गया कि कार्य को आबन्टन प्रक्रिया में खर्च करके आबन्टित किया गया था और अन्त में इस कारण से इसे रद्द कर दिया गया कि जहाँ पर इस रैम्प का निर्माण प्रस्तावित था वहां तकनीकी कारणों से इसे बनाया जाना सम्भव नहीं है। प्रस्तावित रैम्प नक्शे के अनुसार निर्माणाधीन पार्किंग की दक्षिण–पूर्व दिशा से बनाया जाना था, परन्तु वहां पर इतनी जगह ही नहीं है कि कार चढ़ाने लायक चौड़ाई का रैम्प बन सके। इस प्रकार इस रैम्प के न होने से पिछले चार वर्षों से पार्किंग के प्रथम तल का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि वर्ष 2012 से धरातल मन्जिल तथा आस पास के क्षेत्र को ठेके पर दिया गया है। इस प्रकार परिषद् द्वारा

योजनाओं के क्रियान्वन में दूरदर्शिता के न होने तथा दिशाहीनता से होने के कारण संसाधनों की कमी से लगातार जूझ रही परिषद् को पिछले चार वर्शों में इस प्रथम तल के ठेके पर न दिए जा सकने के कारण लगभग ₹35,00,000/लाख की अनुमानित हानि हुई है, जिसकी गणना (धरातल के ठेके की वसूल की गई राशि के आधार पर) की गई है। अतः इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करते हुए उपरोक्त त्रुटि के लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त इस रैम्प का प्रथमिकता के आधार के निर्माण सुनिश्चित करते हुए परिषद् की आय के संसाधनों को और मज़बूत किया जाए।

36 वार्ड नं• 4 में बस अड्डे के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण (सबहैडः पी. एफ. वाटर सप्पलाई, सैनिटरी इन्सटालेशन इनकलयूडिंग कन्सट्रक्शन ऑफ सैप्टिक टैंक एंड रेन वाटर टैंक)

ठेकेदारः	श्री जसवन्त सिंह
ठेका आबंटन पत्र संख्याः	9एम सी एन डी–2(430)/2012–13–865–867 दिनांकः 30–08–2012
अनुबन्ध संख्याः	4/2012–13 दिनांकः 31–08–2012
कार्य शुरू करने की दिनांकः	अनुबन्ध के अनुसारः 14–09–2012 वास्तविकः 06–12–2012
कार्य समाप्ति की दिनांकः	अनुबन्ध के अनुसारः 13–12–2012 वास्तविकः 12–08–2013 को सिविल वर्क के अधूरा रह जाने के कारण यह ठेका रद्द कर दिया गया।
कार्य पूर्ण करने की समयावधिः	तीन माह।
आबन्टित ठेके की राशिः	₹8,75,092/–
प्रथम चलत बिल तक किए गए कार्य का मूल्यः	₹4,37,811/–
माप पुस्तिका संख्याः	59 पृष्ठ 15–20

उपरोक्त बिल की जांच में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः

(क) आबन्टन पत्र की शर्त संख्या 16 के अनुसार ठेकेदार को किसी भुगतान से पूर्व आयकर विभाग से 'आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र' (Income Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत करना था, परन्तु उक्त प्रमाणपत्र भुगतान से पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) इस कार्य को दिनांक 14–09–2012 को प्ररम्भ करके 13–12–2012 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु वास्तव में इसे 06–12–2012 को अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तारीख़ से मात्र सात

दिन पूर्व प्रारम्भ किया गया, फिर भी परिषद् द्वारा आबन्टन पत्र की शर्त संख्या 4 तथा अनुबन्ध की शर्त 2 व 3 के अनुसार उचित समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) आबन्टन पत्र की शर्त संख्या 4 तथा अनुबन्ध की शर्त 2 व 3 के अनुसार कार्य देरी के लिए दण्ड का प्रावधान था, परन्तु परिषद् द्वारा इन शर्तों के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(घ) ठेका कार्य समाप्ति की निर्धारित दिनांक 13–12–2012 के आठ महीने बाद 12–08–2013 को रद्द किया गया, परन्तु न तो ठेकेदार द्वारा इस अतिरिक्त अवधि के नियमतीकरण हेतु नियमानुसार कोई आवेदन किया गया और न ही परिषद् द्वारा इस नियमतीकरण हेतु कोई प्रयत्न किया गया है। अतः इस विसंगति के आधार पर दिनांक 20–02–2013 को वाउचर संख्या 31 व 32 से ठेकेदार को किया गया प्रथम चलत बिल का ₹4,37,811/– का भुगतान भी अनियमित प्रतीत होता है।

(ड़) दिनांक 12–08–2013 को सिविल वर्क के अधूरा रह जाने के कारण यह ठेका पत्र संख्याः 9एम सी एन डी–2(430)/2012–13–1227–1229 द्वारा रद्द कर दिया गया। सी पी डब्लयू डी मैन्युल के नियम संख्याः के अनुसार ठेका रद्द करने से पूर्व अन्तिम बिल को तैयार किया जाना आवश्यक था, परन्तु परिषद् द्वारा इस नियम का अनुपालना में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

37 वार्ड नं• 2 में मन्दिर को जाने वाली सड़क के निचले छोर से श्री राम किशन इत्यादि के घर की अतरफ को जाने वाली गली में सीमेन्ट कन्क्रीट से पक्के मार्ग का निर्माण (सबहैडः आर डी 0/0 मीटर से 0/170 मीटर तक)

ठेकेदारः	श्री नरिन्दर सिंह
ठेका आबंटन पत्र संख्याः	9एम सी एन डी–2(434)/2012–13–529–532 दिनांकः 03–05–2013
अनुबन्ध संख्याः	1/2013–14 दिनांकः 04–05–2013
कार्य शुरू करने की दिनांकः	18–05–2013
कार्य समाप्ति की दिनांकः	17–07–2013 निर्धारित समय के अन्दर
कार्य पूर्ण करने के लिए दी गई समयावधिः	दो माह
आबन्टित ठेके की राशिः	₹4,21,484/–
प्रथम तथा अन्तिम बिल तक किए गए कार्य का मूल्यः	₹,86,803/– (जो कि वास्तविक ₹384211/– से ₹2592/– अधिक है।)
माप पुस्तिका संख्याः	58 पृष्ठ 56–66

उक्त कार्य में सम्बन्धित बिल की जांच में पाया गया कि मद संख्या 4 जिसमें कि 1:6:12 के अनुपात में बुनियाद में सीमेन्ट कन्क्रीट डालने का कार्य किया गया था, की माप पुस्तिका के पृश्ठ 60 पर अंकित की गई पैमाइश की मात्रा 31.88 घन मीटर है जबकि वास्तव में यह 30.80 (513.31 x 0.06) घन मीटर थी। इस 1.08 घन मीटर अधिक अंकित गई मात्रा का भुगतान ₹2400/– प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका के पृष्ठ 64 पर ₹2592/–के लिए किया गया है। अतः इस

अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए सक्षम उच्चाधिकारी की प्रशासनिक सहमती तथा व्यय स्वीकृति (Administrative Approval & Expenditure Sanction) भी नहीं ली गई है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित की जाए।

38 वार्ड नं॰ 3 में ओखा पेन्टा से श्री माया प्रसाद इत्यादि के घर की तरफ को जोड़ने वाले सड़क मार्ग का निर्माण (सबहैडः आर डी 125.0 मीटर से 225.0 मीटर तक खुदाई व समतल करना)

ठेकेदारः	श्री चन्दर कुमार
ठेका आबंटन पत्र संख्याः	₹5,50,426/–के लिए पत्र संख्याः 9एम सी एन डी–2 (433)/ 2012–13 –9–12 दिनांकः 08–01–2013, तथा ₹4,95,900/–के लिए पत्र संख्याः 9एम सी एन डी–2 (433)/ 2012–13 –533–536 दिनांकः 04–05–2013 द्वारा एक ही निविदा से हुए ठेके को दो भागों में आबन्टित किया गया।
अनुबन्ध संख्याः	9/2012–13 दिनांकः 21–01–2013
प्रशासनिक सहमती तथा व्यय स्वीकृति की राशिः	₹9,99,402/–
कार्य शुरू करने की दिनांकः	23–01–2013
कार्य समाप्ति की दिनांकः	29–10–2013 नियमानुसार बढ़ाए गए समय के अन्दर
आबन्टित ठेके की राशिः	₹10,39,635/–के ठेके को दो भागों में ₹5,50,426/– + ₹4,95,900/–कुल ₹10,46,326/–के लिए आबन्टित किया गया।
अन्तिम बिल तक किए गए कार्य का मूल्यः	₹5,23,402/– + ₹3,28,600/– कुल ₹8,52,002/–
माप पुस्तिका संख्याः	59 पृष्ठ 56–66

उपरोक्त कार्य में सीमेन्ट कन्क्रीट के डंगों में 100 मि॰मी॰ ब्यास तथा 60 सें॰मी॰ लम्बाई के कुल 134 वीप होल (माप पुस्तिका 59 के पृश्ठ 40 पर 103, पृष्ठ 45 पर 16 तथा पृष्ठ 77 पर 15) रखे गए थे, जिनके लिए निविदा प्रपत्र की मद संख्या 6 में अलग से भुगतान किया गया है। अतः इन वीप होल के बराबर की मात्रा का मद संख्या 5 जो कि डंगों में 1:5:10 के अनुपात में सीमेन्ट कन्क्रीट 15 प्रतिशत प्लम सहित डालने से सम्बन्धित है में से घटाया जाना अपेक्षित था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस कारण से समस्त वीप होल के घनत्व की मात्रा ($22/7 \times 0.05^2 \times 134 \times 0.60$) 0.63 घन मीटर के लिए ₹2850/– प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹1796/– का अधिक भुगतान किया गया है। इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त कार्य में दूसरे भाग के प्रथम चलत बिल में से आयकर की कटौती 2 प्रतिशत की दर से की गई है, परन्तु दूसरे भाग के द्वितीय तथा अन्तिम बिल में से आयकर की कटौती 1 प्रतिशत की करते हुए कम कटौती की गई है। इस प्रकार अन्तिम बिल तक किए गए कुल

₹328600/– की लागत के कुल कार्य के लिए 2 प्रतिशत की दर से कुल ₹6769/– (₹572/– आयकर + ₹197/– शिक्षा उपकर) की कटौती करनी अपेक्षित थी परन्तु परिषद् द्वारा मात्र ₹3385/– (3286+99) की ही कटौती की गई है। इस प्रकार से ₹3384/– (3286+98) की कम की गई कटौती की वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्रातिशीघ्र करके सरकारी खज़ाने में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

39 श्री नैनादेवी जी में पार्क का निर्माण एवं विकास–फेज़ 2

ठेकेदारः	श्री संदीप कुमार
ठेका आबंटन पत्र संख्याः	9एम सी एन डी–2 (437)/ 2012–13 –1373–1376 दिनांकः 24–09–2013
माप पुस्तिका संख्या	61 पृश्ठ संख्या 23 व 24
वाउचर संख्या व दिनांक	33 दिनांक 01/07/2014

उक्त कार्य के बिल की मद संख्या 1 के अन्तर्गत जमीन की खुदाई, कटाई तथा मिट्टी को फैंके जाने के सन्दर्भ में थी, की 77.25 घन मीटर की मात्रा का भुगतान किया गया है। इस मात्रा के लिए ₹600/– प्रति घन मीटर की दर से ₹46350/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु इस मद में ₹46650/– का भुगतान किया गया है। अतः इस ₹300/– अनुचित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 परिषद् के निर्माण कार्यों के रजिस्टर में कार्य विशेष के सम्पूर्ण व्यय का लेखांकन न करने बारे

नगर परिषद् द्वारा अपने समस्त निर्माण कार्य अनुदान विशेष से प्राप्त राशि से किए जाते हैं। किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन में वास्तविक निर्माण आरम्भ होने से पूर्व भी कई प्रकार के व्यय निर्माण विशेष के सन्दर्भ में किए जाते हैं जैसे प्राक्कलन तैयार करवाने का व्यय, नक्शा बनवाने का व्यय, निविदा अखबार में छपवाने का व्यय इत्यादि जिन्हें उसी निर्माण कार्य के लिए आबन्टित अनुदान में से खर्च किया जाना अपेक्षित है। यह व्यय उस कार्य विशेष के लिए प्राप्त अनुदान में से किया गया है अथवा नहीं इसका पता परिषद् के निर्माण कार्य रजिस्टर से चल सकता है। नगर परिषद् श्री नैणादेवी जी के निर्माण कार्य के रजिस्टर तथा रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि इसमें से निर्माण कार्य विशेष की केवल बही राशियां लेखांकित की जाती हैं जिनका भुगतान ठेकेदार को किए गए कार्य के एवज़ में में किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित समस्त व्यय कार्यालय व्यय में शामिल करके सम्बन्धित अनुदान के स्थान पर स्वयं संसाधनों को चार्ज किए जाते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार से निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा अनुदानों के उपयोग के सन्दर्भ में प्रस्तुत आंकड़े अपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। इस बारे तथ्ययुक्त सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न लिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

(क) अब तक निर्माणाधीन कार्यों के सन्दर्भ में उपरोक्त खर्चों का ब्यौरा तैयार करके उसे सम्बन्धित निर्माण कार्य में निर्माण कार्य रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा व्यय को सम्बन्धित अनुदान को चार्ज करके स्वयं संसाधनों के लिए समायोजन प्रविष्टि की जाए।

(ख) भविष्य हेतु निर्माण कार्य रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

42 **सारांशः—** नगर परिषद लेखाओं में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। रोकड़ बहियों के अनुचित विभाजन के कारण लेखों का मिलान करना सुविधाजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु भी विशेष ध्यान दिया जाए।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0डी0)V(40)2011—4771—4772 दिनांकः05.09.2016 शिमला—171009
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
2. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट 'क'

पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित

1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2004

1	पैरा–9	अनिर्णीत	
2	पैरा–12 (9)	अनिर्णीत	नेहरू योजना के अन्तर्गत ₹19000/–की वसूली अपेक्षित है श्री वीर सिंह चौहान क0 सहायक)

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–4 (16)	अनिर्णीत	राशि ₹25000/–कम जमा उत्तर सन्तोष्जनक नहीं पाया गया।
2	पैरा–4 (22)	निर्णीत	रु450/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
3	पैरा–8(1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–10	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया

3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत	मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निर्माणाधीन से गृहकर की वसूली करने बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई
2	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत	लाईसैन्स फीस ₹80490/ की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं
3	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत	किराये की ₹180438/– हानि बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई

4 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2012

1	पैरा– 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क के जमा करवाए जाने का सत्यापन कर लिया गया
2	पैरा–4	समाप्त	वित्तीय स्थिति पुनः प्रारुपित
3	पैरा– 5(क)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
4	पैरा– 5(ख)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
5	पैरा– 5(ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
6	पैरा– 6(क)	समाप्त	निवेश विवरणी
7	पैरा– 6(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
8	पैरा– 7 (1)	समाप्त	अनुदान राशियों का विवरण

9	पैरा– 7 (2)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
10	पैरा– 8(क)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
11	पैरा– 8(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
12	पैरा– 9(क)	निर्णीत	की गई कार्यवाही के सत्यापन तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्ररूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
13	पैरा– 9(ख)	निर्णीत	की गई कार्यवाही के सत्यापन तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्ररूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
14	पैरा– 9(ग)	निर्णीत	की गई कार्यवाही के सत्यापन तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्ररूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
15	पैरा– 10	निर्णीत	की गई कार्यवाही के सत्यापन तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्ररूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
16	पैरा– 11	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
17	पैरा– 12	अंशतः निर्णीत	₹195492/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया है तथा मन्दिर न्यास से सम्बन्धित बकाया की वसूली शेष है
18	पैरा– 13	अंशतः निर्णीत	वसूल किए गए गृहकर के सत्यापन कर लिया गया तथा मन्दिर न्यास से सम्बन्धित बकाया की वसूली शेष है
19	पैरा– 14(क)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
20	पैरा– 14(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा– 15	निर्णीत	₹9728/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया
22	पैरा– 16	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
23	पैरा– 17	अनिर्णीत	
24	पैरा– 18	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
25	पैरा– 19	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्ररूपण के दृश्टिगत समाप्त गया
26	पैरा– 20	अनिर्णीत	
27	पैरा– 21	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
28	पैरा– 22	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
29	पैरा– 23(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुर्नप्ररूपण के दृष्टिगत समाप्त गया
30	पैरा– 23(ख)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
31	पैरा– 24(क)	अनिर्णीत	
32	पैरा– 24(ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा– 24(ग)	अनिर्णीत	
34	पैरा– 24(घ)	अनिर्णीत	
35	पैरा– 24(ड•)	अनिर्णीत	
36	पैरा– 25	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
37	पैरा– 26	अनिर्णीत	
38	पैरा– 27	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
39	पैरा– 28	अनिर्णीत	
40	पैरा– 29(1)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
41	पैरा– 29(2)	निर्णीत	उपलब्ध बजट का सत्यापन कर लिया गया
42	पैरा– 29(3)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया

43	पैरा– 30	निर्णीत	दोनों प्रकरणों मे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का सत्यापन कर लिया गया
44	पैरा– 31	निर्णीत	निविदा आमन्त्रण पत्र तथा निविदाओं का सत्यापन कर लिया गया
45	पैरा– 32	निर्णीत	भण्डारण पुस्तिका के पृश्ठ 160–161 पर सीमेन्ट की वापिसी का सत्यापन कर लिया गया
46	पैरा– 33	निर्णीत	प्रतिस्थापित मदों के अनुमोदन का सत्यापन कर लिया गया
47	पैरा– 34(1)	निर्णीत	की गई कार्यवाही का सत्यापन कर लिया गया
48	पैरा– 34(2)	अनिर्णीत	